"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 225] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 7 सितम्बर 2006—भाद्र 16, शक 1928

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 सितम्बर 2006

अधिसूचना

क्रमांक-बी-1-26/2002/एक/4.—निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का सं. 1) की धारा 33 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा, राज्य प्रशासनिक सेवा संवर्ग के पदों को निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का सं. 1) की धारा 33 के उपबंधों से छूट प्रदान करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, सचिव.

रायपुर, दिनांक 7 सितम्बर 2006

क्रमांक-बी-1-26/2002/एक/4.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 7-9-2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, सचिव.

Raipur, the 7th September 2006

NOTIFICATION

No. B-1-12/2005/1/4.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Section 33 of the Persons with Disabilities (Equal Opportunities Protection of Rights And Full Participation) Act, 1995 (No. 1 of 1996), the State Government hereby exempts the post of State Administrative Service Cadre from the provisions of Section 33 of the Persons with Disabilities (Equal Opportunities Protection of Rights And Full Participation) Act, 1995 (No. 1 of 1996).

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
JAWAHAR SHRIVASTAVA, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.